I/निगरानी/शिवपुरी/भू.रा./2017/2217

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक: ।२०१७- निगरानी.

साहब सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह यादव,
निवासी - खरवाया तहसील पोहरी,
जिला शिवपुरी - मध्यप्रदेश ।

------- प्रार्थी

श्री ... के० ... द्वारा आज दि 14-7-17 को प्रस्तुत

14.7.17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरुध्द

सीता पुत्र दौजा, निवासी ग्राम (टपर)
खरवाया तहसील पोहरी जिला शिवपुरी
(मध्यप्रदेश)

------ प्रतिप्रार्थी

निगरानी विरुध्द आदेश एस०डी०ओ० महोदय पोहरी जिला शिवपुरी दिनांक- ३०-०६-२०१७, अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ । प्र०क्र० ८/१६-१७ अपील ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्रार्थना-पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

१- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय की आज्ञा कानूनन सही नहीं है ।

२- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय ने प्रकरण के स्वरूप एवम् कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है ।

३- यह कि, वर्तमान प्रकरण में एस०डी०ओ० महोदय को धारा ४४- मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता के अधीन अपील श्रवण किये जाने का कानूनन कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त न था । धारा ४४ भू-राजस्व संहिता वर्तमान प्रकरण में लागू नहीं होती है, क्योंकि विवादित भूमि का व्यवस्थापन प्रार्थी को ८४ के अधिनियम के अधीन किया गया है तथा संबंधित अधिनियम में अपील का कोई प्रावधान न होने से एस०डी०ओ० महोदय द्वारा पारित विवादित आदेश

क्रमशः---२

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-एक/निग./शिवपुरी/भू.रा./2017/2217

साहब सिंह विरूद्ध सीता

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17/6/19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी करैरा, जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक- 08/2016-17/अपील में पारित आदेश दिनांक 30/6/2017 विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 06/8/19 को कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 17/6/19 सदस्य	